



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- dfodumka@gmail.com / dfo-dumka@gov.in

; Ph. No- 06434-236072



पत्रांक-..... दिनांक-.....

सेवा में,

वरीय प्रबन्धक,
संचरण प्रमण्डल, दुमका।

विषय :- 220 K.V. D/C गोड्डा-दुमका ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत कुल-4.5012 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-वनभूमि-01/2019-2868, व०प०, राँची दिनांक-29.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि 220 K.V. D/C गोड्डा-दुमका ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत कुल-4.5012 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-वनभूमि-01/2019-2868, व०प०, राँची दिनांक-29.07.2019 द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण कार्य कराने हेतु निदेश प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)

प्रासंगिक पत्र के शर्त संख्या-14 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनरोपण से संबंधित प्राक्कलन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। राशि जमा करने संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

1. क्षतिपूरक वनरोपण की राशि-33.859 लाख।

अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक-916 दिनांक-08.3.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उक्त राशि को जमा किया जाय। राशि जमा करने के उपरांत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही किसी भी परिस्थिति में आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट/कैश/DD द्वारा राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ज्ञापांक-~~2767~~ दिनांक-~~10-8-19~~

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Bhandra
10-08-19
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
10/8/19

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2028-29 तक क्षतिपूरक वनरोपण के तहत 220 KV D/C गोड्डा से दुमका ट्रांसमिशन लाईन में गैबियन वृक्षारोपण से संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के पत्रांक-वनभूमि-01/2019-1177 दिनांक-27.3.2019 तथा वनभूमि-01/2019-2868 दिनांक-29.07.2019 द्वारा स्टेज-I में लगाई गई शर्त संख्या-14 के अनुपालन का प्राक्कलन।

- | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>1 प्रमण्डल का नाम - दुमका वन प्रमंडल, दुमका।</p> <p>2 प्रक्षेत्र का नाम - हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।</p> <p>3 स्थल का नाम - चॉदडीह/पतरामपुर/बाबुपाटजोरिया/
साधुडीह/दहीचुआँ/जामबाड़ी/लबरती/जोरडीहा/कुरुआ/
लता/पोड़ेडीह/पोड़ियाडंगाल/हथियापहाड़ी</p> <p>4 थाना एवं थाना नं०-डोड़िया-02/दुधुआ-50/दुधुआ-12/
महुबना-33/अमड़ापहाड़ी-19/20/22/08/11/10/09/
रामगढ़-25</p> | <p>5 पौधे से पौधे की दूरी- 8 मी०</p> <p>6 बाँस गैबियन का आकार :- 6'-6" X 2'-6" X 2'-6"</p> <p>7 गैबियन की संख्या :- 720</p> <p>8 मजदूरी दर-</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">249.83</td> <td style="text-align: right;">287.30</td> <td style="text-align: right;">330.40</td> <td style="text-align: right;">379.96</td> <td style="text-align: right;">436.95</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">502.49</td> <td style="text-align: right;">577.86</td> <td style="text-align: right;">664.54</td> <td style="text-align: right;">764.22</td> <td style="text-align: right;">878.85</td> </tr> </table> <p>9 पौधों की प्रजाति- सागवान, करंज, शीशम, कठ-सागवान</p> | 249.83 | 287.30 | 330.40 | 379.96 | 436.95 | 502.49 | 577.86 | 664.54 | 764.22 | 878.85 |
| 249.83 | 287.30 | 330.40 | 379.96 | 436.95 | | | | | | | |
| 502.49 | 577.86 | 664.54 | 764.22 | 878.85 | | | | | | | |

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रति बाँस गैबियन				720 गैबियन का प्राक्कलित राशि				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ए०) वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रिम कार्य										
1	घेरान कार्य									
क	बाँस का खूँटा-4 अदद (खूँटे की लम्बाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 3 बाँस @ 80.00 रु० प्रति बाँस) ढुलाई सहित	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	230400.00	0.00	230400.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	1.00	0.00	249.83	249.83	720.00	0.00	179877.60	179877.60	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	0.20	6.00	49.97	55.97	144.00	4320.00	35975.52	40295.52	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेन्ट सं रंगाई	0.30	90.00	74.95	164.95	216.00	64800.00	53963.28	118763.28	
ड	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1' X 1' X 1'-6" आकर के 4 गढ़ों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना।	0.20	0.00	49.97	49.97	144.00	0.00	35975.52	35975.52	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना 4 खूँटा-20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	0.20	15.00	49.97	64.97	144.00	10800.00	35975.52	46775.52	
छ	जाफरी हेतु			0.00		0.00	0.00	0.00		
	(1) तार 100 ग्राम (67/-रु० प्रति किलोग्राम)	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	4824.00	0.00	4824.00	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/-रु० प्रति किलोग्राम)	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00	14904.00	0.00	14904.00	
2	मृदा कार्य: पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना।	0.17	0.00	42.47	42.47	122.40	0.00	30579.19	30579.19	
योग :-		2.07	458.40	517.15	975.55	1490.40	330048.00	372346.63	702394.63	

क्र०	कार्य का विवरण	प्रति बाँस गैबियन				720 गैबियन का प्राकृतिक राशि				आयुक्ति
		मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2020-21 मजदूरी दर-287.30 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप

1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत पौधों के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	
2	गड्डे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	0.15	20.00	43.10	63.10	108.00	14400.00	31028.40	45428.40	
3	पौधा रोपण (DAP 50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	0.10	2.00	28.73	30.73	72.00	1440.00	20685.60	22125.60	
4	तीन कौड़नी निकौनी (प्रथम:-5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक द्वितीय:-10 ग्राम यूरिया 5 ग्राम कीटनाशक तृतीय:-5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव।	0.15	4.50	43.10	47.60	108.00	3240.00	31028.40	34268.40	
5	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)	0.50	25.00	143.65	168.65	360.00	18000.00	103428.00	121428.00	
6	सुरक्षा	0.50	0.00	143.65	143.65	360.00	0.00	103428.00	103428.00	
7	साईन बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	
योग :-		1.40	96.50	402.22	498.72	1008.00	69480.00	289598.40	359078.40	

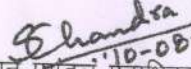
(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2021-22 मजदूरी दर-330.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप

1	तीन कौड़नी निकौनी (प्रथम:-5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक द्वितीय:-10 ग्राम यूरिया 5 ग्राम कीटनाशक तृतीय:-5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव।	0.15	4.50	49.56	54.06	108.00	3240.00	35683.20	38923.20	
2	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)	0.50	5.00	165.20	170.20	360.00	3600.00	118944.00	122544.00	
3	बाँस गैबियन का मरम्मत एवं सुरक्षा	0.50	60.00	165.20	225.20	360.00	43200.00	118944.00	162144.00	
योग :-		1.15	69.50	379.96	449.46	828.00	50040.00	273571.20	323611.20	

(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-379.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप

1	तीन कौड़नी निकौनी (प्रथम:-5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक द्वितीय:-10 ग्राम यूरिया 5 ग्राम कीटनाशक तृतीय:-5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव।	0.15	4.50	56.99	61.49	108.00	3240.00	41035.68	44275.68	
2	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)	0.50	5.00	189.98	194.98	360.00	3600.00	136785.60	140385.60	
3	बाँस गैबियन का मरम्मत एवं सुरक्षा	0.50	60.00	189.98	249.98	360.00	43200.00	136785.60	179985.60	
योग :-		1.15	69.50	436.95	506.45	828.00	50040.00	314606.88	364646.88	

क्र०	कार्य का विवरण	प्रति बाँस गैबियन				720 गैबियन का प्राकलित राशि				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ई०) सम्पोधन कार्य (पंचम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-436.95 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	60.00	218.48	278.48	360.00	43200.00	157302.00	200502.00	
	योग :-	0.50	60.00	218.48	278.48	360.00	43200.00	157302.00	200502.00	
(एफ०) सम्पोधन कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-502.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	60.00	251.25	311.25	360.00	43200.00	180896.40	224096.40	
	योग :-	0.50	60.00	251.25	311.25	360.00	43200.00	180896.40	224096.40	
(जी०) सम्पोधन कार्य (सप्तम् वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-577.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	60.00	288.93	348.93	360.00	43200.00	208029.60	251229.60	
	योग :-	0.50	60.00	288.93	348.93	360.00	43200.00	208029.60	251229.60	
(एच०) सम्पोधन कार्य (अष्टम् वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-664.54 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	60.00	332.27	392.27	360.00	43200.00	239234.40	282434.40	
	योग :-	0.50	60.00	332.27	392.27	360.00	43200.00	239234.40	282434.40	
(आई०) सम्पोधन कार्य (नवम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-764.22 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	60.00	382.11	442.11	360.00	43200.00	275119.20	318319.20	
	योग :-	0.50	60.00	382.11	442.11	360.00	43200.00	275119.20	318319.20	
(जे०) सम्पोधन कार्य (दशम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-878.85 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	60.00	439.43	499.43	360.00	43200.00	316386.00	359586.00	
	योग :-	0.50	60.00	439.43	499.43	360.00	43200.00	316386.00	359586.00	
	सकल योग :-	8.77	1053.90	3648.74	4702.64	6314.40	758808.00	2627090.71	3385898.71	
	या:-								3385899.00	


 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

प्रेषक

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- 220 K.V. D/C गोड्डा-दुमका ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत
कुल-4.5012 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।
प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-1177 दिनांक-27.03.2019
महाशय,

राँची, दिनांक-

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत
निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली
के पत्र सं०-5-2/2017-FC दिनांक-28.03.2019 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत है, जिसमें अधिसूचित LWE
जिलों में 5 हे० तक के वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों में राज्य सरकार को प्रदत्त General Approval प्रदान
करने की शक्ति में क्षतिपूर्क वनरोपण के संबंध में निम्न निर्देश दिया गया है-

"cost of plantation (including ten years maintenance) of ten times the number of trees
likely to be felled or specified number of trees as may be specified in the order for diversion of
forest land (subject to a minimum no. of 100 plants) shall be levied from the user agency towards
compensatory afforestation."

भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में विषयक परियोजना हेतु विभागीय
पत्रांक-1177 दिनांक-27.03.2019 द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति में निम्न अतिरिक्त शर्त अधिरोपित की जाती
है-

"xiv) प्रस्तावित परियोजना में पातित होने वाले वृक्षों के दस गुणा अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के
रोपण एवं रख-रखाव (दस वर्षों के लिए) हेतु आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।"

अनुरोध है कि उक्त शर्त का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक-वनभूमि-01/2019-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण
भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला न०-A-2, श्यामली कॉलोनी,
राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक-वनभूमि-01/2019-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सन्थाल परगना,
दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/गोड्डा
वन प्रमंडल, गोड्डा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन डीविजन, पोस्ट-मारहो, दुमका-814110 को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।